प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व क्षेत्र की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है जिसमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस तथा अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2012–13 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा सम्पादित की गई है।